XIX (a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला–अनूपपुर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2352–दो / 15

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24–7–15 | आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. । उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया ।<br>प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ ।<br>सदस्य | |
| 31–8–15 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आर 687–दो / 06 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br>सदस्य | |

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी

प्रकरण नम्बर... 24-7-15 रेस्टो० 2352-II-15

द्वारा आज ... प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिन्दु

—आवेदक

विरुद्ध

ओमप्रकाश 24/07/15

—अनावेदक

**म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।**

**माननीय महोदय,**

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 6806/06 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/6/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 24/6/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 24/6/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को ... में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 6806/06 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक

स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी

बिन्दु — प्रार्थी द्वारा अभि.